"ग" "5"

प्रेषक, संख्या-1490/26-2-2004-4(392)/99

अनिल सन्त,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 29 जुलाई, 2004.

विषय-- समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों के वेतनमानों का 01-01-1996 से पुनरीक्षण।

====

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विभाग के अधीन संचालित समाज कल्याण के विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में उनके वर्तमान वेतनमानों में निम्नानुसार संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

वर्तमान वेतनमान	संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान
1-रू0 975-25-1150-द0रो0-30-1660-30-1840 (प्रा0वे0 रू0-1360)	रू0-3200-85-5410(प्र0वे0रू0 -4220)
2-रू0-975-25-1150-30-1540(प्रा0वे0रू0-1100)	रू0 3200-85-4900(प्रा0वे0रू0-3455)
3-रू0-850 नि0	रू0-2750 नि0

2- उक्त पुनरीक्षित वेतनमान 01-04-2004 से प्रभावी होगे। इससे पूर्व की अवधि का कोई भी अवशेष किसी भी रूप में अनुमन्य न होगा।

3- उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के आदेश अलग से प्रसारित किये जायेंगे।

4- बढ़े हुए वेतन का नगद भुगतान माह सितम्बर, 2004 के वेतन जो माह अक्टूबर, 2004 में देय होगा, के साथ किया जायेगा।

5- संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से दिनांक 31 अगस्त, 2004 तक की बढ़ी हुई धनराशि (यदि कोई हो) संबंधित पदधारक के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी। यदि कोई पदधारक भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सार्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के [illegible] अंश का एन0एस0सी0 उपलब्ध न हो उसे नगद दी जायेगी।

...2/

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-3-1135/दस-2004, दिनांक 27-7-2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

ह0/-

(अनिल सन्त)
सचिव।

संख्या-1490(1)/26-2-04-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त वेतन (आयोग) अनुभाग-1/2
3- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनुभाग-3
4- समाज कल्याण अनुभाग-1/3
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

ह0/-

(लक्ष्मी कान्त शुक्ल)
विशेष सचिव।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

संख्या- C-12887 /सक/शि0/1/आ0/वे0प्र0/2004-05

लखनऊ : दिनांक: अगस्त 4 ,2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

(अमित मोहन प्रसाद)
निदेशक।